67345/2023

4707

ई फाईल संख्या-52991

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE (P)/AAO

SSO (P)II

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 07 नवम्बर,2023

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

विषयः-चालू निर्माण कार्य (राज्य सेक्टर) मद में धनावंटन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3002/01 बजट (मार्ग चालू कार्य-रा०से०)/2023-24 दिनांक 21 अक्टूबर,2023 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-I/118539/2023 दिनांक 01.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-I/144166/2023 दिनांक 07.08.2023, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-5054 के अंतर्गत पूंजीगत पक्ष के राज्य सेक्टर-चालू निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि ₹55000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किशत के रूप में क्रमशः ₹183,33.33 लाख+ ₹183,33,.33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत पूंजीगत पक्ष के चालू निर्माण कार्य (राज्य सेक्टर) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किशत (अंतिम किशत) के रूप में ₹183,33.34 लाख (रूपये एक सौ तिरासी करोड़ तैंतीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

SSO (P-I) 17/11/23

i. उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष सी०सी०एल० आवंटन, खण्डवार स्वीकृत कार्यों की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर की जायेगी तथा इसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

इं० जीवन सिंह नयाल
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी

ii. उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, वितरण अधिकारी द्वारा बी०एम०-4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

101062

AO (P)

iii. पूंजीगत पक्ष की संलग्न योजनाओं की सी०सी०एल० प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। इस संबंध में उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी०सी०एल० निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी०सी०एल० निर्गत करने में विलम्ब होता है, तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं

की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी०सी०एल० निर्गत करेंगे ।

iv. सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों को वरीयता दी जाये।

v. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग-I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

vi. इस संबंध में सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-I/111469/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

vii. उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिए, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेडयूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

viii. साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण-वितरण अधिकारी/कार्यस्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बजट मैनुअल के प्रस्तर-10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

ix. जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

x. इस संबंध में वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार पूंजीगत पक्ष के सुसंगत उपमानक मदों में धनराशि ₹183,33.34 लाख (रूपये एक सौ तिरासी करोड़ तैंतीस लाख चौंतीस हजार मात्र) का बजट आवंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 में आपको आवंटित कोड सं०-4227 में किया जा रहा है। अत: तदनुसार अग्रेत्तकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय04- जिला तथा अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 03- राज्य सेक्टर 01-चालू निर्माण कार्य 53-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जेनरेटेड संख्या-I/111469/2023, दिनांक 31 मार्च,2023 द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 07-11-2023 13:18:18

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेज़री), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/167345/2023 आवंटन आई डी-S23110220002
अनुदान संख्या -022 आवंटन पत्र दिनांक-08-NOV-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	01-चालू निर्माण कार्य (5054-04-800-03-01 से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	3666666000	1833334000	0	5500000000
योग	3666666000	1833334000	0	5500000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,83,33,34,000 (Rupees One Hundred Eighty Three Crores Thirty Three Lacs Thirty Four Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–I" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1349 /20 याता0'क' /2022 दिनांक–18 .11.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. अपर सहायक अभियन्ता प्राविधिक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून